

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

तिलक राज गौरी,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना
महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना
प्रधान सचिव/सचिव,
(सभी विभाग)
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक: 01.04.2011

विषय:- बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2011

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार विधान मंडल ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2011 पारित किया है एवं महामहिम राज्यपाल ने इस विधेयक पर दिनांक: 31.03.2011 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि (विधान) विभाग ने इस विधेयक को बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 2, 2011) की अधिसूचना संख्या-लेज-69 दिनांक: 01.04.2011 से निर्गत कर दिया है। अधिनियम को बिहार गजट के असाधारण अंक संख्या-116 दिनांक-01 अप्रैल 2011 को प्रकाशित किया गया(गजट की प्रति संलग्न)।

2. उपर्युक्त के आलोक में 31 मार्च, 2012 तक की अवधि के लिए बजट प्रावधानित राशि को नियमानुसार व्यय किया जा सकता है। राशि की व्यय की अधिकतम सीमा अधिनियम के अनुसूची के कॉलम-6 में अंकित राशि तक सीमित है। अगर कोई नये उपशीर्ष में राशि प्रावधानित की गयी हो, जो पूर्व में कार्यरत नहीं था तो उस उपशीर्ष से राशि का व्यय महालेखाकार से उक्त उपशीर्ष के खोलने संबंधित सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाना है।

3. बजट पुस्तिकाओं की प्रति पत्रांक: 134 दिनांक: 25.02.2011 से पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 की बजट पुस्तिका बिहार सरकार के वेबसाइट <http://finance.bih.nic.in> और गजट की प्रति वेबसाइट-<http://egazette.bih.nic.in> पर देखी जा सकती है।

विश्वासभाजन,



(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना/महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/अध्यक्ष, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानीय आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री के सचिव/लोकायुक्त के सचिव/सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग/सचिव, राजस्व पर्वद/महानिरीक्षक, कारा, गृह विभाग/राज्य सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विकास आयुक्त के सचिव को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि- निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक, पुरातत्व निदेशालय/निदेशक, संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपालन निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, सामाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अगिलेखाकार/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें/निदेशक, सांख्यिक वित्त/निदेशक, संचालन सिविल विमानन, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-कर न्यायधिकरण/मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि- अभिलेखागार पदाधिकारी, बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार विधान सभा पुस्तकालय/अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् पुस्तकालय को बिहार गजट की 5-5 प्रतियाँ अभिलेख संधारण हेतु प्रेषित।

(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि-मुख्यलेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण) विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/सभी अपर सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संयुक्त सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव के सचिव/सचिव(व्यय), संसाधन के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, स्कीम शाखा-7, 8 एवं 9/प्रशाखा पदाधिकारी, शाखा-10ए, 13 एवं शाखा-4 को बिहार गजट की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि-स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द्र पटेल मार्ग, बिहार, पटना को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि-उपमुख्य मंत्री के आप्त सचिव को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि-सभी लेखा पदाधिकारी/प्रणाली विश्लेषक, डाटा कोषांग को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

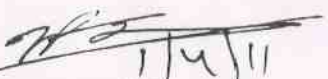

(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी

ज्ञापांक- ब-18/बी0एस0जी0-20/2011 262/वि0

पटना, दिनांक: 01.04.2011

प्रतिलिपि-बजट शाखा के सभी सहायकगण को बिहार गजट की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(तिलक राज गौरी)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 चैत्र 1933 (श0)
(सं0 पटना 116) पटना, शुक्रवार, 1 अप्रील 2011

विधि विभाग

अधिसूचना

1 अप्रील 2011

सं० एल0जी0-1-15/2011/लेज-69—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 31 मार्च 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 2, 2011]**बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2011**

बिहार राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 656,77,08,15,000 (छह सौ छप्पन अरब सतहत्तर करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार) रुपये की निकासी । - बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान में आने वाले अनेक भारों की पूर्ति के लिए अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अनधिक राशियां, जो कुल मिलाकर 656,77,08,15,000 (छह सौ छप्पन अरब सतहत्तर करोड़ आठ लाख पन्द्रह हजार) रुपये शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेंगी ।

3. विनियोग - इस अधिनियम द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि में से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें 31 वीं मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के निमित्त विनियुक्त किया जायेगा ।

अनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	12358920000	0	12358920000
		पूंजी	0	0	0
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	3847270000	0	3847270000
		पूंजी	0	0	0
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	2761621000	0	2761621000
		पूंजी	3589068000	0	3589068000
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	1155608000	1200000	1156808000
		पूंजी	94500000	0	94500000
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	63049000	63049000
		पूंजी	0	0	0
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	655299000	0	655299000
		पूंजी	0	0	0
7	निगरानी विभाग	राजस्व	235369000	0	235369000
		पूंजी	0	0	0
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	620719000	0	620719000
		पूंजी	0	0	0
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	2950915000	0	2950915000
		पूंजी	1035685000	0	1035685000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	11123781000	0	11123781000
		पूंजी	17339264000	0	17339264000
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1036679000	0	1036679000
		पूंजी	38500000	0	38500000
12	वित्त विभाग	राजस्व	2714795000	2435000000	5149795000
		पूंजी	240000000	0	240000000
13	सूद भुगतान	राजस्व	0	47385082000	47385082000
		पूंजी	0	0	0
14	ऋण अदायगियां	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	0	29078888000	29078888000

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियाँ		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व	75773079000	69559000	75842638000
		पूँजी	0	0	0
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	29828813000	0	29828813000
		पूँजी	2500000000	0	2500000000
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	697125000	0	697125000
		पूँजी	0	0	0
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	4287116000	0	4287116000
		पूँजी	0	0	0
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	1240609000	0	1240609000
		पूँजी	12000000	0	12000000
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	23053067000	0	23053067000
		पूँजी	4193000000	0	4193000000
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व	109159119000	0	109159119000
		पूँजी	620000000	0	620000000
22	गृह विभाग	राजस्व	35341860000	0	35341860000
		पूँजी	4349708000	0	4349708000
23	उद्योग विभाग	राजस्व	4836535000	0	4836535000
		पूँजी	389605000	0	389605000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व	633683000	0	633683000
		पूँजी	0	0	0
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	1050013000	0	1050013000
		पूँजी	1018125000	0	1018125000
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	1682018000	0	1682018000
		पूँजी	112300000	0	112300000
27	विधि विभाग	राजस्व	5152870000	0	5152870000
		पूँजी	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	राजस्व	0	826690000	826690000
		पूँजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	155722000	0	155722000
		पूँजी	0	0	0

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूँजी	अनधिक राशियाँ		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	5687553000	0	5687553000
		पूँजी	51000000	0	51000000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	14426000	0	14426000
		पूँजी	0	0	0
32	विधान मंडल	राजस्व	805338000	3285000	808623000
		पूँजी	0	0	0
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	3308117000	0	3308117000
		पूँजी	0	0	0
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	122611000	122611000
		पूँजी	0	0	0
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	7089511000	0	7089511000
		पूँजी	7672350000	0	7672350000
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	3414132000	0	3414132000
		पूँजी	3908574000	0	3908574000
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व	5426484000	0	5426484000
		पूँजी	10918553000	0	10918553000
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	1105629000	0	1105629000
		पूँजी	0	0	0
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	7699372000	0	7699372000
		पूँजी	25000000	0	25000000
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	3811051000	0	3811051000
		पूँजी	578600000	0	578600000
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	6481323000	0	6481323000
		पूँजी	38771940000	0	38771940000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	14710828000	0	14710828000
		पूँजी	28900000	0	28900000
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	488938000	0	488938000
		पूँजी	573922000	0	573922000
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	5290532000	0	5290532000
		पूँजी	148000000	0	148000000
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	456399000	0	456399000
		पूँजी	2433000	0	2433000

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व	118284000	0	118284000
		पूंजी	244389000	0	244389000
47	परिवहन विभाग	राजस्व	336349000	0	336349000
		पूंजी	1338485000	0	1338485000
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	12837811000	0	12837811000
		पूंजी	70000000	0	70000000
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	8205345000	0	8205345000
		पूंजी	20963842000	0	20963842000
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	4216585000	0	4216585000
		पूंजी	2444634000	0	2444634000
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	28084662000	0	28084662000
		पूंजी	1571800000	0	1571800000
योग राजस्व			451941274000	50906476000	502847750000
योग पूंजी			124844177000	29078888000	153923065000
महायोग			576785451000	79985364000	656770815000

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 116-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>